

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या - 15/औ0-14-05/13 ...../स्वा0, पटना, दिनांक - .....

श्री चेतन आनन्द, अनुज्ञापन प्राधिकारी, नवादा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं प्रदान किए जाने के कारण उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम - 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पटना में निर्धारित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री चेतन आनन्द को निर्धारित मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करने पर उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. अनुज्ञापन प्राधिकारी, गया को अगले आदेश तक अनुज्ञापन प्राधिकारी, नवादा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

संचिका संख्या - 15/औ0-14-05/13 ...../स्वा0, पटना, दिनांक - .....

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

संचिका संख्या - 15/औ0-14-05/13 ...../स्वा0, पटना, दिनांक - .....

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ माननीय मंत्री स्वा0 के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आशुलिपिक/ संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, नवादा/प्रमण्डलीय आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया/सिविल सर्जन, नवादा/सिविल सर्जन, गया/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अनुज्ञापन प्राधिकारी, गया/श्री चेतन आनन्द, अनुज्ञापन प्राधिकारी, नवादा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा - 07,09,10 एवं 15, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

संचिका संख्या - 15/औ0-14-05/13 ...../स्वा0, पटना, दिनांक - .....  
प्रतिलिपि - आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

